संख्या-110/2016/1077/71-1-2016-जी-195/2016

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 12 अप्रैल, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा पैरा मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/04, दिनॉक 06-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा पैरा मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु वेतनादि तथा अन्य आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु विभिन्न् मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 1,64,06,89,000/- (रू0 एक अरब चौसठ करोड़ छः लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22-03-2016 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22-03-2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-110/2016/1077(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा झाँसी।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा झाँसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा झाँसी।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।